(13)

COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

संभाग–ग्वालियर म.प्र.

रा.अ.क्र.   /2018

I/अपील/कटनी/भू.रा/2018/1858

अपीलार्थी/आवेदकः–**महेन्द्र सिंह गौंड़** आत्मज श्री छेदी सिंह गौंड़
निवासी ग्राम सलैया तहसील व जिला कटनी

542

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगणः–1. **अभिषय कुमार सूर्यवंशी** पिता श्री अम्बिका प्रसाद सूर्यवंशी निवासी झर्रा टिकुरिया तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

2. **मध्यप्रदेश शासन।**

श्री आनंद प्रसाद अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
28 FEB 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

अपीलार्थी/आवेदक निम्न निवेदन करता हैः–

1. आवेदक द्वारा अपील राजस्व प्रकरण क्र. 1427/2016–2017 श्री महेन्द्र सिंह गौंड़ विरूद्ध अभिषय कुमार सूर्यवंशी व अन्य में न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउन्ड के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैः–

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थी/ आवेदक आदिम जन जाति का सदस्य है तथा ग्राम कटंगीकला, रा.नि.मं. पहाड़ी, तहसील व जिला कटनी, (म.प्र.) में स्थित ख.नं. 7/5, रकबा 0.756 हे0,भूमि याने की कुल एक एकड़ 40 डिसमिल कृषि भूमि विक्रय करने की अनुमति का आवेदन माननीय श्रीमान् कलेक्टर महोदय कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसे दिनांक 04.07.2017 को खारिज किया गया था जिसकी अपील श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जबलपुर में दिनांक विक्रय के उपरांत अपीलार्थी/ आवेदक के पास ग्राम सलैया तहसील कटनी जिला कटनी अंतर्गत ख.नं. 791/2, ख.नं. 793/2, ख.नं 892/2, कुल रकबा 2.39हे0 भूमि सिंचित शेष अपीलार्थी –2

महेन्द्र सिंह गौंड विरूद्ध अभिषय कुमार आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू0रा0/2018/1858 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1427/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26-2-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कटंगीकला रा0नि0मं0 पहाड़ी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 7/5 रकबा 0.56 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 04-7-17 द्वारा अपीलार्थी का भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन विधि के अनुक्रम में न मानते हुए निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक ने भूमि विक्रय हेतु मिथ्या कथन प्रस्तुत किये हैं, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 2.390 हैक्टर सिंचित भूमि बच रही है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कटंगीकला रा0नि0मं0 पहाड़ी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं0 7/5 रकबा 0.56 हैक्टर भूमि को	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू0रा0/2018/1858 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	